सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस।

दिनांक – 17.09.2024

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सम्भल श्री कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 17.09.2024 को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

पशुवध के उपकरण, एक रास गौवंशीय पशु के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना सम्भल-

दिनांक 16/17.09.2024 की रात्रि में थाना सम्भल पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान फिरोजपुर पुल से चिमयावली जाने वाले रास्ते पर 01 अभियुक्त गुफरान पुत्र जुल्फिकार उर्फ छोटे निवासी हातिम सराय थाना सम्भल जनपद सम्भल को एक गोवंशीय पशु को मारते पीटते हुए ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का एक साथी गुफरान पुत्र कय्यूम निवासी सिरसी थाना हजरतनगर गढी जनपद सम्भल मौके से फरार हो गया। अभियुक्त के कब्जे से गौकसी करने के उपकरण व एक रास गौवंशीय पशु(बैल) रंग काला बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सम्भल पर मु0अ0सं0 254/2024 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा गौवंसीय पशु को गौशाला मे छोडा गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त गुफरान ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो मिलकर जंगल से आवारा गौवंशीय पशु को रात मे पकडकर वध कर देते है तथा मांस को ले जाकर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते है। तथा अवशेष को मौके पर ही छोड देते हैं। आज भी हम दोनो ने एक आवरा बैल को जंगल से पकडा था जिसे वध करने के लिये लेकर जा रहे थे किन्तु आपने पकड लिया।

बरामदगी-

1. 01 रास गौवंसीय पशु बैल रंग काला।
2. 01 लोहे का दाव। 3. 02 लोहे का छूरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री अनुज कुमार तोमर थाना सम्भल जनपद सम्भल।
2- उ0नि0 श्री विनोद कुमार।
3. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार।
4.हे0का0 163 सुखवेन्द्र सिंह।
5. हे0का0 530 आदेश पंवार।
6. का0 387 सौरभ कुमार।

<u>01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना रजपुरा-</u>

मु0अ0सं0 298/2024 धारा 281/125(ए)(बी)/106 बीएनएस में वांछित अभियुक्त सिराकुद्दीन पुत्र अलिमुद्दीन निवासी शिवकुंज कॉलोनी के0 के0 नगर थाना सिकन्दरा जनपद आगरा को उ0नि0 श्री रोशन सिंह द्वारा गिरफ्तार किया गया।

<u>01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार थाना जुनावई-</u>

मु0नं0 702/16 धारा 323/452 भादवि में वारण्टी अभियुक्त धान सिंह पुत्र आराम सिंह निवासी करियामई थाना जुनावई जनपद सम्भल को उ0नि0 श्री रामविरेश सिंह द्वारा मय पुलिस टीम के ग्राम करियामई से गिरफ्तार किया गया।